न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 1388/2020 तारीख रजू:– 24.12.2020

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

हरिबाबू शर्मा पुत्र श्री ईश्वरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये जिला कलक्टर, करौली
2. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील हिण्डौन ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज

उपस्थित :– 1. श्री रिद्धिचन्द जैन एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :– 10-2-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 513/9935 रकबा 0.01 है0, 513 रकबा 1.82 है0कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है0ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 3 बीघा बारानी 2 तथा खसरा नम्बर 120 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बारानी 1 तथा खसरा नम्बर 122 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा बारानी प्रथम व द्वितीय कुल कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा वादी हरिबाबू शर्मा तथा वादी के पिता स्वर्गीय श्री ईश्वरलाल पुत्र श्री जगनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जगर ने शान्तीस्वरूप, सूरजलाल एवं जगदीश प्र[illegible] के साथ बहिस्सा बराबर उक्त भूमि के तत्कालीन [illegible] 1975 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद किया था। उस समय [illegible] ग्राम जगर, तहसील हिण्डौन में निवास करता था। वर्तमान में मोहन नगर [illegible]बा हिण्डौन में निवास करता है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं02 वाद पत्र के सेटिलमेन्ट के पश्चात नये खसरा नम्बर बनकर आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 513/9935 रकबा 0.01 है0, 513 रकबा 1.82 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है0 अपने सहखातेदारान से बंटवारे में वादी एवं वादी के पिता के नाम खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। इस प्रकार आराजी मुतजिका मद नं0 1वाद पत्र के वादी व वादी के पिता बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हो गये।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि उपरोक्त वर्णित अनसार आराजी वादी के पिता स्वर्गीय श्री ईश्वरलाल शर्मा व वादी के संयुक्त नाम से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.10.1975 को खरीद की गई थी। सरकारी दस्तावेज में वादी का नाम हरिबाबू दर्ज है, उसी नाम से आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं शिक्षण के दस्तावेज बने हुए हैं लेकिन खरीद के विक्रय पत्र में लिपिकीय भूल के कारण हरिबाबू के स्थान पर हरिप्रसाद दर्ज हो गया था, जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी में वादी के पिता ईश्वरलाल का हि01/2 तथा वादी का हिस्सा 1/2 हरिप्रसाद के नाम से दर्ज किया गया था।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि के दस्तावेज अपने पास ही रखते थे। वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हरिप्रसाद कभी नहीं देखा, लेकिन लगभग तीन वर्ष पूर्व वादी के पिता ईश्वरलाल जी का स्वर्गवास हो गया, तो वादी तथा वादी के भाई बहनों ने विरासत के आधार पर स्वर्गीय श्री ईश्वरलाल के स्थान पर खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया, तो विरासत में वादी का नाम हरिबाबू दर्ज किया गया। वादी ने उस समय भी राजस्व रिकार्ड नहीं देखा, लेकिन वादी को राजस्व रिकार्ड की नकल की आवश्यकता होने पर वादी ने जमाबन्दी की नकल दिनांक 31.07.2020 को ली, तो पता चला कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हरिबाबू के [illegible] हुआ है, जिसके अनुसार हरिप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल हि01/2 त[illegible]रिबा[illegible]त्र ईश्वरलाल हि01/10 दर्ज किया हुआ है, जबकि [illegible] ईश्वरलाल हि0 3/5 दर्ज होना चाहिए था, जिसके कारण वादी के [illegible]धिक अधिकारों का हनन हो रहा है। भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से ब[illegible] के लिए राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में संशोधन किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि वादी ने उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत नाम की जानकारी होते ही प्रतिवादी सं02 को राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन प्रतिवादी सं02 तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया तथा उपजिला कलक्टर हिण्डौन के यहॉ राजस्व वाद प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि वादी ने प्रतिवादीगण को अपने अभिभाषक श्री ऋद्धिचन्द जैन एडवोकेट के माध्यम से एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 10.08.2020 को दिलवा दिया,जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया, लेकिन प्रतिवादीगण ने ना तो राजस्व रिकार्ड में संशोधन नहीं किया और ना ही उक्त नोटिस का कोई जबाव ही दिया।इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि तहसीलदार हिण्डौन लैण्ड होल्डर हैं, इसलिए नियमानुसार उन्हें प्रतिवादी सं02 बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 31.07.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर जानकारी होने तथा दिनांक 31.07.2020 को प्रतिवादी सं02 यहॉ प्रार्थना पत्र देने तथा प्रतिवादी सं02 द्वारा प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर देने तथा दिनांक 10.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस देने पर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से इन्कार कर देने से बमुकाम हिण्डौन अन्दर हदूद आराजी अदालत वाला उत्पन्न हुई है और दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 513/9935 रकबा 0.01 है0, 513 रकबा 1.82 है0 वाके कस्बा हिण्डौन के [illegible] हिस्सा में वादी का नाम हरिप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल के स्थान पर [illegible] ईश्वरलाल तथा वादी के 1/10 हिस्सा को जोडकर [illegible] का हिस्सा 3/5 दर्ज फरमा दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार हिण्डौन ने जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 आंशिक स्वीकार है। शेष तथ्य लाईल्म अस्वीकृत हैं।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं03 आंशिक स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं04 इस हद तक स्वीकार है कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रति से दिनांक 28.10. 1975 को वादी व वादी के पिता द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय की गई है। अन्य तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं05 स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं06 लगायत 12 अ,ब,स में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं06 लगायत 12 अ,ब,स कानूनी हैं।

अन्य दादरसी :— यह कि, वादी द्वारा दावा बाबत् करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज इस आश्य से प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28.10.1975 को वादी व उसके पिता ईश्वरलाल द्वारा तत्कालीन खातेदार से रजिस्टर्ड बयनामा साबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 3 बीघा, 120 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 122 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा में हिस्सा बराबर अन्य क्रेतागण के साथ मुताविक पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किया गया। सहखातेदार के वाद बंटवारा वादी व वादी के पिता से हाल खसरा नम्बर 513/9935 रकबा 0.01 है0, 513 रकबा 1.82 है0, किता 2 रकबा 1.83 है0 हाल जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी है। वादी का कथन है कि अन्य सभी सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजों में इसका नाम हरिबाबू पुत्र ईश्वरलाल अंकित है परन्तु रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में उसका सहवन से नाम हरीप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल द[illegible] में शुद्ध कराया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन [illegible], अ[illegible]र, पेनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि का दस्तावे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071—74, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1975 उनवानी कन्हैयालाल पुत्र श्री श्रीनारायण जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी नाहरगढ रोड जयपुर द्वारा मुख्त्यारनामा रामनिवास पुत्र श्री वद्रीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी

नाहरगढ रोड जयपुर , प्रधुमन्न कुमार दत्तक पुत्र गोविन्दनारायण जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी नाहरगढ रोड जयपुर पार्टनर फर्म तिवाडी झूमरलाल द्वारा धनपतराम पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी जयपुर मुख्त्यार आम प्रधुमन्न कुमार विक्रेता बहक शान्तिस्वरूप दत्तक पुत्र घूडमल जाति वैश्य, सूरजलाल पुत्र गयाप्रसाद, जगदीश प्रसाद पुत्र गयाप्रसाद, ईश्वरलाल पुत्र गयालाल,हरिप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जगर तहसील हिण्डौन केतागण , प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2020 तहसीलदार हिण्डौन को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी कस्बा हिण्डौन में दर्ज नाम में संशोधन करने के कम में वादी की ओर से पेश किया गया है की एक प्रति, फोटो प्रति श्री ऋद्धि चन्द जैन एडवोकेट द्वारा प्रतिवादीगण को दिया गया नोटिस एवं रजिस्ट्री की रसीद किता–2, फोटो प्रति राशन कार्ड संख्या 00156 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा निवासी जोशी मार्केट मोहन नगर वार्ड नं019 हिण्डौन जिला करौली,फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र कमांक आरजे/11/086/354128 हरिबाबू पुत्र ईश्वरलाल निवासी मकान नं0 315 मोहन नगर वार्ड नं011 हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रियंका गैस सर्विस हिण्डौन द्वारा गैस कनैक्शन हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल निवासी मोहन नगर हिण्डौन, फोटो प्रति राजस्थान राज्य विधुत मण्डल द्वारा जारी विधुत विल हरिबाबू पुत्र ईश्वरलाल निवासी हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हायर सैकण्ड्री परीक्षा 1974 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा के नाम से जारी की हुई है, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1973 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा के नाम से उत्तीर्ण की जारी की हुई है, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 9 दिनांक 01.12.2000 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा निवासी वार्ड नं09 मोहन नगर हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 38157 [illegible] हरीबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा निवासी जोशी मार्केट [illegible] जारी किया हुआ है, फोटो प्रति पेन कार्ड [illegible] 8865 एम हरीबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा के नाम से जारी किया हुआ है, [illegible] किये हैं।

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील वादी एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है तथा पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

वकील वादी एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 513 रकबा 1.82 है0, 513/9935 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी द्रोपति पुत्री ईश्वरलाल हि01/10, प्रमोद कुमार पुत्र ईश्वरलाल हि01/10, रविप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल हि0 1/10, शकुन्तला पुत्री ईश्वरलाल हि01/10, हरिबाबू पुत्र ईश्वरलाल हि0 1/10, हरिप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल हि01/2 जाति ब्राहम्ण सा0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1975 उनवानी कन्हैयालाल पुत्र श्री श्रीनारायण जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी नाहरगढ रोड जयपुर द्वारा मुख्त्यारनामा रामनिवास पुत्र श्री वद्रीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी नाहरगढ रोड जयपुर , प्रधुमन्न कुमार दत्तक पुत्र गोविन्दनारायण जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी नाहरगढ रोड जयपुर पार्टनर फर्म तिवाडी झूमरलाल द्वारा धनपतराम पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी जयपुर मुख्त्यार आम प्रधुमन्न कुमार विक्रेता बहक शान्तिस्वरूप [illegible] सूरजलाल पुत्र गयाप्रसाद, जगदीश प्रसाद पुत्र गयाप्रसाद, ईश्व[illegible] हरिप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवा[illegible] केतागण के हक में साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 12[illegible] रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन का विक्रय किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2020 तहसीलदार हिण्डौन को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी कस्बा हिण्डौन में दर्ज नाम में संशोधन करने के कम में वादी की ओर से पेश किया गया है, जिसके आधार पर वादी के नाम की दुरूस्ती नहीं किया जाना साबित है।

फोटो प्रति श्री ऋद्धि चन्द जैन एडवोकेट द्वारा प्रतिवादीगण को दिया गया नोटिस एवं रजिस्ट्री की रसीद किता–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम संशोधन कराने हेतु वादी की ओर से उनके अधिवक्ता ने नोटिस दिया गया है। उसके उपरान्त भी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधित नहीं हुआ है।

फोटो प्रति राशन कार्ड संख्या 00156 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा निवासी जोशी मार्केट मोहन नगर वार्ड नं019 हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र कमांक आरजे/11/086/354128 हरिबाबू पुत्र ईश्वरलाल निवासी मकान नं0 315 मोहन नगर वार्ड नं011 हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रियंका गैस सर्विस हिण्डौन द्वारा गैस कनैक्शन हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल निवासी मोहन नगर हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति राजस्थान राज्य विधुत मण्डल द्वारा जारी विधुत विल हरिबाबू पुत्र ईश्वरलाल निवासी हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हायर सैकण्ड्री परीक्षा 1974 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा के नाम से जारी की हुई है।

फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1973 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा के नाम से उत्तीर्ण की जारी की हुई है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 9 दिनांक 01.12.2000 हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा निवासी वार्ड नं09 मोहन नगर हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 3815731[illegible] हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा निवासी जोशी मार्केट मोहन नगर हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पेन कार्ड संख्या आई आरआरपी[illegible] 8865 एम हरीबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा के नाम से जारी किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2071–74 में ईश्वरलाल की विरासत का नामान्तकरण खुलने के पश्चात खातेदारी के कॉलम में हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन हिस्सा 1/10 दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी में हरीप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है तथा वादी के द्वारा पेश किये गये उक्त सभी दस्तावेजों में वादी का नाम हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा दर्ज रिकार्ड है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम हरिप्रसाद शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा के स्थान पर हरिबाबू शर्मा पुत्र ईश्वरलाल शर्मा इन्द्राज दुरूस्ती कराने का हकदार साबित है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज डिक्री किया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 513 रकबा 1.82 है0, 513/9935 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार हरिबाबू पुत्र ईश्वरलाल हि0 1/10, हरिप्रसाद पुत्र ईश्वरलाल हि01/2 के स्थान पर हरिबाबू शर्मा पुत्र श्री ईश्वरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मोहन नगर हिण्डौन को हिस्सा 3/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–1–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

(अ...)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन ... करौली